फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री गोपाल सिंह निवासी नाल की भागल पो0 फरारा तहसील व जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द **— प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 96/2024**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 10.12..2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :—सू0अ0,05/2024/14 दिनांक 19.11.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी श्री गोपाल सिंह द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रार्थना पत्र श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय को प्रस्तुत की गई है, जो इस कार्यालय को दिनांक 11.11.2024 को प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा वाणिज्यिक रूपान्तरण पत्रावली की प्रमाणित प्रति चाही गई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन पर संज्ञान में आया कि अपीलार्थी द्वारा चाही जानी वाली पत्रावली के मिसल नम्बर एवं निर्णय दिनांक अंकित नहीं होने से पत्रावली उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना के संबंध मे पत्रावली के मिसल नम्बर एवं निर्णय दिनांक अंकित नहीं होने से पत्रावली उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। अतः अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गई पत्रावली के मिसल नम्बर एवं निर्णय दिनांक उपलब्ध करवाकर चाही गई वांछित सूचना प्राप्त करे। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** 10/12/24 लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	

न्यायालय जिला कलेक्टर राजसमन्द (राज.)